न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–19/2023 दायर दिनांक– 19.01.2023

GCMS NO:- 2023/45 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. इन्द्रा बाई पत्नी रामसागर जाति मीना नि0 तुलसीपुरा ग्रा.प. भजनेरी तहसील नैनवॉ।
2. प्रधान पुत्र मोतीलाल जाति मीना नि0 तुलसीपुरा ग्रा.प. भजनेरी तहसील नैनवॉ।
3. मदनी बाई पत्नी सीताराम जाति मीना नि0 तुलसीपुरा ग्रा.प. भजनेरी तहसील नैनवॉ।

प्रार्थीगण

बनाम

भूमिधारी राज0 सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब नैनवॉ

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री शांतिलाल मीना।

निर्णय दिनांक 30.5.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 629/158 रकबा 1.2540 हैक्टयर ग्राम बालापुरा प.म. भजनेरी मे स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी आधिपत्य की भूमि है जिसमे प्रार्थीगणों का हिस्सा बराबर 1/3 प्रत्येक का हिस्सा है। इसी हैसियत से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर डोल लगाकर मेड बंदी, तारबंदी कर पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि जानवरों व अन्य नुकसान से बचा जा सके। प्रार्थीगण द्वारा कई बार सीमांकन करवाया है परन्तु पत्थरगढी नही होने से मौके पर विवाद हो जाता है। प्रार्थीगणों ने कई बार श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ को राजस्व कैम्प मे भी पत्थरगढी करवाने का प्रार्थना पत्र पेश कर चुके है लेकिन पत्थरगढी नही हुई है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा आदि पेश कर धारा 111 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमनें प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे कार्यवाही चलते लगभग 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि **ग्राम बालापुरा प.म. भजनेरी मे स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 629/158 रकबा 1.2540 हैक्टयर पर यदि प्रार्थीगण का कब्जा पाया जाता है तो** नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ